भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1994
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन,1946 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना

†1994. श्रीमती कनिमोझी कुरुणानिधि:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत आवंटित, वितरित और उपयोग की गई निधि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) तमिलनाडु और अन्य राज्यों में योजना के अंतर्गत स्थापित साइबर न्यायालयिक प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;
(ग) महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों में वृद्धि का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) राज्य और केंद्र सरकार के अभिकरणों के बीच साइबर अपराध मामलों के शीघ्रता से समाधान के लिए और समन्वय में सुधार के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 1994, दिनांक 11.03.2025

केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों समेत साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत दिनांक 31.03.2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

ii. 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत तमिलनाडु में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई है।

iii. जांच और अभियोजन पर बेहतर ढंग से कार्रवाई करने के लिए एलईए कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। सीसीपीडब्ल्यूसी योजना के तहत 24,600 से अधिक एलईए कार्मिकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है ।

iv. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

v. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

vi. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी),भारत तथा नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), यूएसए के बीच दिनांक 26.04.2019 को ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बाल यौन शोषण सामग्री पर एनसीएमईसी से टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक, 69 लाख से अधिक साइबर टिपलाइन रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जा चुकी हैं।

vii. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने उपयुक्त सरकार होने के नाते दिनांक 13.03.2024 को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के तहत कार्य करने और मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में मौजूद या उससे जुड़ी सूचना, डेटा या संचार लिंक को गैरकानूनी कार्य करने हेतु इस्तेमाल करने की घटनाओं के बारे में सूचित करने हेतु गृह मंत्रालय की एजेंसी के रूप में नामित किया है।

viii. राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य) का उद्घाटन दिनांक 14.05.2022 को हैदराबाद में किया गया। इस प्रयोगशाला की स्थापना से साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य के मामलों में आवश्यक फोरेंसिक सहायता मिली है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप साक्ष्यों को संरक्षित और इनका विश्लेषण किया जाता है; और इससे टर्नअराउंड समय में 50% तक की कमी आई है।

ix. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 11,835 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

x. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

xi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।

xii. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 6,046 आरोपियों की गिरफ्तारी, 17,185 लिंकेज और 36,296 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xiii. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

xiv. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, कॉलर ट्यून, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर अखबार में विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी और

साइबर अपराधियों की अन्य कार्यप्रणालियों पर दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा. अता. प्र. सं. 1994 दिनांक 11.03.2025

'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' योजना के तहत 31.03.2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	4.42	0	0	0	0.49	0	1.24
2	अरुणाचल प्रदेश	1.65	0	0	0	0	0	0
3	असम	4.19	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	2.47	0	0.6	0.12	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	2.59	0	0	0	0.29	0	0.39
6	गोवा	1.63	0	0	0	0	0	0.29
7	गुजरात	2.72	0	0.73	0	0	0	0
8	हरियाणा	2.53	0	0	0	0.23	0	1.28
9	हिमाचल प्रदेश	1.65	0	0.04	0.12	0.12	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	1.7	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	1.82	0	0	0	0.34	0	0
12	कर्नाटक	4.46	0	0	0	0.4	0	0.96
13	केरल	4.35	0	0	0	0	0	0.64
14	मध्य प्रदेश	2.85	0	0	0	0	0	1.06
15	महाराष्ट्र	4.58	0	0	0	0	0	0.92
16	मणिपुर	1.63	0	0	0	0.26	0	0
17	मेघालय	1.62	0	0	0	0	0	0.06
18	मिजोरम	1.62	0	0	0.12	0.12	0	0.16
19	नागालैंड	1.63	0	0.08	0	0	0	0
20	ओडिशा	2.62	0	1.2	0	0.2	0	0
21	पंजाब	2.55	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	4.4	0	0	0	0.47	0	0.75
23	सिक्किम	1.62	0	0	0	0	0	0.03
24	तमिलनाडु	2.99	0	0	0	0.35	0	0
25	तेलंगाना	4.34	0	0	0	0	0	1.05
26	त्रिपुरा	1.64	0	0	0	0.12	0	0
27	उत्तर प्रदेश	4.71	0	0	0	0	0	0
28	उत्तराखण्ड	1.66	0	0	0	0	0	0.75
29	पश्चिम बंगाल	4.32	0	0	0	0.24	0	0.26
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.62	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	1.61	0	0	0	0	22.35	0
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3.20	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	2.51	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	1.6	0	0	0	0	0	0.85
36	पुदुचेरी	1.63	0	0	0	0.12	0	0
	कुल	93.13	0	2.65	0.36	3.75	22.35	10.69